पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2048
दिनांक-11.11.2026

जोन-पश्चिमी/थाना- पारा

- **थाना पारा पुलिस टीम द्वारा दो शातिर भैस चोर/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से लाखों की दो दुधारू भैंसें बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक 09/10.11.2026 की रात्रि में थाना पारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम फतेहगंज में वादी श्री रिजवान अली की दूध डेयरी एवं उनके पड़ोसी श्री अफसर अली उर्फ ध्रुव की दूध डेयरी से अज्ञात चोरों द्वारा दो कीमती दुधारू भैंसें चोरी कर ली गई थीं। इस संबंध में वादी श्री रिजवान अली की तहरीर पर थाना पारा में मु0अ0सं0 **776/2026 धारा 303(2) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना पारा श्री सुरेश सिंह के निर्देशन में विवेचक उ0नि0 श्री अजय कुमार पटेल द्वारा पुलिस टीम के साथ तत्काल घटना के अनावरण हेतु प्रयास प्रारंभ किए गए। पुलिस टीम द्वारा की गई जांच एवं सुरागरसी के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि चोरी की गई भैंसों को जनपद उन्नाव की सीमा में ले जाया गया है।

इसी क्रम में थाना पारा पुलिस टीम द्वारा जनपद उन्नाव के थाना आसीवन क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीणों के सहयोग से दो संदिग्ध व्यक्तियों 1. इमरान पुत्र अब्दुल मजीद, निवासी ग्राम सदाखेड़ा मजरा कुल्हा अटौरा, थाना आसीवन, जनपद उन्नाव, उम्र करीब 25 वर्ष 2. पवन पुत्र स्व0 कौशलेन्द्र, निवासी ग्राम मेड़हा खेड़ा मजरा राजेपुर ग्रन्ट, थाना आसीवन, जनपद उन्नाव, उम्र करीब 24 वर्ष को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से चोरी की गई **दोनों दुधारू भैंसें बरामद** की गईं। मौके पर मौजूद ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि दोनों व्यक्ति गांव में भैंसों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहे थे, जिस पर ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सूचना दी।

बरामदगी एवं विवेचना में संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा **306/317(2) बीएनएस** की वृद्धि की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1-इमरान पुत्र अब्दुल मजीद, निवासी ग्राम सदाखेड़ा मजरा कुल्हा अटौरा, थाना आसीवन, जनपद उन्नाव, उम्र करीब 25 वर्ष

2-पवन पुत्र स्व0 कौशलेन्द्र, निवासी ग्राम मेड़हा खेड़ा मजरा राजेपुर ग्रन्ट, थाना आसीवन, जनपद उन्नाव, उम्र करीब 24 वर्ष

03- बरामदगी

- चोरी की 02 अदद दुधारू भैंस (कीमत लगभग 02 लाख रूपये)

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

इमरान पुत्र अब्दुल मजीद उपरोक्त

1- मु0अ0सं0 180/2026 धारा 115(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 थाना दुबग्गा लखनऊ

2- मु0अ0सं0 776/2026 धारा 306/317(2) बी0एन0एस0 थाना पारा लखनऊ

पवन पुत्र स्व0 कौशलेन्द्र, उपरोक्त

1- मु0अ0सं0 75/2022 धारा 323/427/504/506 भा0दं0वि0 थाना आसीवन उन्नाव

2- मु0अ0सं0 776/2026 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना पारा लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

थाना पारा पुलिस टीम

05-अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगण से पूछताछ के दौरान मुख्य अभियुक्त इमरान ने बताया कि वह वादी रिजवान अली की दूध डेयरी पर ही काम करता था। डेयरी पर काम करने के कारण उसे वहाँ की पूरी जानकारी थी। उसने अपने साथी पवन के साथ मिलकर दोनों डेयरियों से भैंसें चुराकर दूर ग्रामीण इलाकों में बेच दी जाएंगी ताकि किसी को शक न हो।

06- गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना पारा लखनऊ

1. श्री सुरेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री अजय कुमार पटेल थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
3. हे0का0 आशीष सिंह थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 2052
दिनांक-11.11.2026

जोन- पूर्वी/ थाना-इन्दिरानगर

- **थाना इन्दिरानगर पुलिस द्वारा महिला से मारपीट करने के वायरल वीडियो के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.11.2026 को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा एक महिला को बांधकर उसके साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया। उक्त वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना इंदिरानगर पुलिस द्वारा जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि महिला मूल रूप से जनपद बाराबंकी की निवासी है तथा मानसिक रूप से कमजोर है।

उक्त प्रकरण के संदर्भ में सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर थाना इंदिरानगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा प्रकरण की जानकारी की गई। महिला के पति द्वारा बताया गया कि उक्त महिला उसकी पत्नी है, जो मानसिक रूप से कमजोर है तथा किसी बच्चे की चोरी करने का प्रयास नहीं कर रही थी।

दिनांक 10.11.2026 को पीड़िता के पति द्वारा थाना इंदिरानगर पर लिखित तहरीर दी गई, जिसके आधार पर मु0अ0सं0- 0301/2026 धारा- 191(2)/ 191(3)/126(2)/115(2)/ 352/351(2)/109 बीएनएस बनाम सनीउदल, सरीफुल, जमालुद्दीन व 5-6 अन्य अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुई, जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री अर्जुन सिंह के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

श्रीमान पुलिस उपायुक्त पूर्वी कमिश्नरेट लखनऊ, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी, श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त गाजीपुर, के द्वारा घटनास्थाल का भौतिक निरीक्षण किया गया तथा उक्त अभियोग के सफल अनावरण हेतु आदेश-निर्देश दिये गये।

जिनके क्रम में उ0नि0 अर्जुन सिंह, उ0नि0 श्री गौरव कुमार, उ0नि0श्री सर्वेश मौर्या, उ0नि0श्री बुद्ध सिंह व का0 संजय सरोज अभियुक्तगण की गिरफ्तारी/तलाश हेतु रवाना होकर लोधी चौराहा थे कि मुखबिर की सूचना पर मानस ग्रीन पार्क पानी टंकी के पास अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त मो0आयनुद्दीन पुत्र रहमान अली निवासी मानस सिटी के पीछे सूगामऊ झुग्गी झोपडी थाना इंदिरा नगर लखनऊ उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

जिसकी निशादेही पर नेवादा पावर हाऊस के पास से अभियुक्त जमालूद्दीन पुत्र अबदुल हमीद निवासी मानस सिटी के पीछे सुग्गामऊ झुग्गी झोपडी थाना इंदिरा नगर लखनऊ उम्र 31 वर्ष को तथा मुखबिर की सूचना से एमजे फन सिटी वाटर पार्क के पास जंगल से अभियुक्तगण 3. सरीफुल इस्लाम पुत्र ममेरू इस्लाम निवासी मानस सिटी के पीछे सुग्गामऊ झुग्गी झोपडी थाना इंदिरा नगर लखनऊ उम्र 24 वर्ष व 4. सनीदुल इस्लाम पुत्र शाहदयल निवासी मानस सिटी के पीछे सुग्गामऊ झुग्गी झोपडी थाना इंदिरा नगर लखनऊ उम्र लगभग 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. मो0 आयनुद्दीन पुत्र रहमान अली निवासी मानस सिटी के पीछे सुग्गामऊ झुग्गी झोपडी थाना इंदिरा नगर लखनऊ उम्र 30 वर्ष लगभग **मूलपता असम**
2. जमालूद्दीन पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मानस सिटी के पीछे सुग्गामऊ झुग्गी झोपडी थाना इंदिरा नगर लखनऊ उम्र 31 वर्ष लगभग **मूल पता – असम**
3. सरीफुल इस्लाम पुत्र ममेरू इस्लाम निवासी मानस सिटी के पीछे सुग्गामऊ झुग्गी झोपडी थाना इंदिरा नगर लखनऊ उम्र 24 वर्ष **मूलपता असम**
4. सनीदुल इस्लाम पुत्र शाहदयल निवासी मानस सिटी के पीछे सुग्गामऊ झुग्गी झोपडी थाना इंदिरा नगर लखनऊ उम्र 19 वर्ष लगभग **मूलपता असम**

03-पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0- 0301/2026 धारा- 191(2)/ 191(3)/126(2)/115(2)/352/351(2)/109 बीएनएस थाना इन्दिरानगर लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

1.नि0 श्री अजय नारायण सिंह थाना इन्दिरानगर लखनऊ

2.उ0नि0 श्री अर्जुन सिंह, थाना इन्दिरानगर लखनऊ

3.उ0नि0 श्री गौरव कुमार, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

4.उ0नि0 श्री सर्वेश मौर्या, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

5.उ0नि0 श्री बुद्ध सिंह, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

6.का0 संजय सरोज, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 2055
दिनांक- 11.11.2026

जोन- मध्य / थाना- मानकनगर

- **थाना मानकनगर की पुलिस टीम द्वारा हत्यारोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.11.2026 को वादी श्री आशू पुत्र रमाशंकर उर्फ छोटू उर्फ कालिया निवासी रामनगर, मंगलखेड़ा आलमबाग थाना मानकनगर लखनऊ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 09.11.2026 की रात्रि में अपने घर की छत पर पार्टी करते समय अभियुक्त वीरेश बहादुर सिंह उर्फ किन्की राजपूत द्वारा पिता रमाशंकर उर्फ छोटू उर्फ कालिया उम्र करीब 55 वर्ष की मारपीट कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना मानकनगर पर मु0अ0सं0 69/2026 धारा 103(1) BNS व 3(2)V SC/ST Act पंजीकृत कर विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट द्वारा सम्पादित की जा रही है।

सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट के पर्यवेक्षण में अभियुक्त वीरेश बहादुर सिंह उर्फ किंकी पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी मंगलखेड़ा रामनगर आलमबाग थाना मानकनगर लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 11.11.2026 को स्लीपर ग्राउण्ड रामनगर थाना मानकनगर लखनऊ से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

02- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया शाम करीब 06:00 से 07:00 बजे के मध्य अपने मोहल्ले में रहने वाले मृतक रमाशंकर के घर गया था।

अभियुक्त के अनुसार, शराब के नशे में रमाशंकर अचानक उत्तेजित होने लग। इसके बाद रमाशंकर ने मुझसे (अभियुक्त) सिगरेट पिलाने को कहा। मेरे द्वारा सिगरेट न होने की बात कहने पर रमाशंकर नाराज होकर उसे गाली देने लगे तथा उसके सिर पर अध्धे से वार कर दिया। इस पर मेरे (अभियुक्त) द्वारा पाइप एवं अध्धे से रमाशंकर के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े। अभियुक्त ने बताया कि उसे लगा कि रमाशंकर की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद वह बिना किसी को कुछ बताए मौके से फरार हो गया।

04- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- वीरेश बहादुर सिंह उर्फ किंकी पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी 555च/139/2क मंगलखेड़ा रामनगर आलमबाग थाना मानकनगर जनपद लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष

05-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 69/2026 धारा 103(1) BNS व 3(2)V SC/ST Act थाना मानकनगर लखनऊ

06- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री त्रिभुवन सिंह थाना मानकनगर कमि0 लखनऊ
2. उ0नि0 श्री सत्यम द्विवेदी थाना मानकनगर कमि0 लखनऊ
3. उ0नि0 श्री शाहिद खाना थाना मानकनगर कमि0 लखनऊ
4. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव थाना मानकनगर कमि0 लखनऊ
5. का0 प्रकाश यादव थाना मानकनगर कमि0 लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2049

दिनांक- 11.11.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- बिजनौर

➢ **थाना बिजनौर पुलिस टीम द्वारा चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरण:-

पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री लक्ष्मन वर्मा के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक बिजनौर श्री कपिल गौतम के निर्देशन में गठित पुलिस टीम द्वारा चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

02- संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.11.2026 को वादिनी श्रीमती फैजान सिद्दकी पुत्री जमाल अहमद निवासी सैनिक इन्कलेव कॉलोनी थाना बिजनौर लखनऊ की तहरीरी सूचना बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी मुकदमा के घर की वायरिंग व समरसेबिल का तार चोरी कर लेने सम्बन्धी मु0अ0सं0 311/2026 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी, महोदय के निर्देशन में 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन एवं तकनीकी/मैनुअल तथा स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से आज दिनांक 11.11.2026 को अभियुक्त सुहैल को गिरफ्तार कर कब्जे से चुराये गये विद्युत तार को बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03- पूछताछ अभियुक्त:-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त सुहैल ने बताया कि, "साहब, मैं नशा करने का आदी हूँ तथा नशे की लत के कारण मेरे पास पैसे नहीं थे। नशे की पूर्ति के लिए मैंने एक घर में घुसकर बिजली के तार चोरी कर लिए थे। आज मैं उन्हीं चोरी किए गए तारों को बेचने के लिए जा रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। साहब, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए।

04- गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

01. सुहैल पुत्र इरशाद अली निवासी गढ़ी मोहल्ला बिजनौर थाना बिजनौर लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष।

05- बरामदगी विवरण:-

01. एक अदद पीले रंग की बोरी मय विद्युत केबल एवं तार वजन लगभग 09 कि0ग्रा0।

06- पंजीकृत अभियोग:-

➢ मु0अ0सं0 0311/2026 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना बिजनौर कमिश्नरेट लखनऊ।

07- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- थाना बिजनौर पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 2050
दिनांक- 11.11.2026

जोन-मध्य / कोतवाली- हजरतगंज

- **घर में चोरी की घटना का सफल अनावरण, घरेलू साफ-सफाई का कार्य करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी के आभूषण बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.11.2026 को वादी मुकदमा श्री संतोष कुमार वर्मा निवासी बी-ब्लॉक, पुराना विधायक निवास, द्वितीय तल, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा थाना हजरतगंज पर तहरीर दी गई कि वह सुबह अपने कार्यालय गए थे तथा शाम करीब 06:30 बजे वापस घर लौटे। घर पहुंचने पर दरवाजे के अंदर का कुंडा टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो कमरे में रखी लोहे की अलमारी जमीन पर गिरी हुई थी तथा उसका दरवाजा एवं लॉकर टूटा हुआ था। अलमारी में रखे सोने-चांदी के आभूषणों के खाली डिब्बे जमीन पर पड़े थे तथा आभूषण चोरी हो चुके थे।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना हजरतगंज पर मु0अ0सं0 244/2026 धारा 305(ए)/331(3) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 अजय वर्मा द्वारा की जा रही थी।

02-कार्यवाही का विवरण-

घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल एवं आसपास लगे लगभग 10 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का बारीकी से अवलोकन किया गया। फुटेज के विश्लेषण में वादी के घर पर साफ-सफाई का कार्य करने वाले व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुईं। संदिग्ध की फोटो वादी को दिखाए जाने पर उन्होंने उसकी पहचान निहाल के रूप में की, जो उनके घर पर साफ-सफाई का कार्य करता था।

पुलिस द्वारा सुरागरसी एवं पतारसी करते हुए दिनांक 10.11.2026 को रात्रि 23:50 बजे अभियुक्त निहाल पुत्र महेश निवासी पानी की टंकी के पीछे, रामलीला मैदान, निकट दशमेश अपार्टमेंट, थाना हुसैनगंज, लखनऊ को पुलिस हिरासत में लिया गया।

अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी किए गए आभूषण बरामद किए गए। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03- पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी -

अभियुक्त वादी मुकदमा को घर पर साफ सफाई का काम करता था अभियुक्त द्वारा बताया गया कई दिनो से मैं चोरी करने के फिराक में था दिनांक 07.11.2026 को घर में कोई नहीं था जिस पर मेरा द्वारा दरवाजे का ताला तोड़कर अलमारी तोड़कर उसके रखे गहने चोरी कर लिया गया ।

04- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. निहाल पुत्र महेश निवासी पानी की टंकी के पीछे राम लीला मैदान निकट दशमेश अपार्टमेंट थाना हुसैनगंज

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0-244/2026 धारा 305(ए)/331(3)/317(2) बीएनएस थाना हजरतगंज लखनऊ

06-बरामदगी विवरण-

- कान के टप्स- 10 जोड़ी (पीली धातु)
- कान की छोटी बालियां- 03 जोड़ी (पीली धातु)
- कान की बाली- 01 (पीली धातु)
- कान का झुमका- 02 जोड़ी (पीली धातु)
- कान में पहने वाली सुई धागा- 03 अदद (पीली धातु)
- अंगूठी पुरुष की- 01 अदद (पीली धातु)
- अंगूठी महिला की- 03 अदद (पीली धातु)
- छोटी चेन- 01 अदद (पीली धातु)
- बड़ी चेन- 01 अदद (पीली धातु)
- दानेदार चेन- 01 अदद (पीली धातु)
- चेन लाकेट सहित- 01 अदद (पीली धातु)
- चेन (चार लरी वाली दानेदान)- 01 अदद (पीली धातु)
- चेन (जिसमें लाल व हरे पत्थर लगे है)- 01 अदद (पीली धातु)
- चेन (छोटे दाने वाली)- 01 अदद (पीली धातु)
- नाक की कील- 02 अदद (पीली धातु)
- लाकेट- 03 अदद (पीली धातु)
- हरे रंग का पत्थर(स्टोन)- 01 अदद
- पायल- 01 जोड़ी (सफेद धातु)
- सिक्का- 03 अदद (सफेद धातु)

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अजय वर्मा, थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 प्रदीप यादव , थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ
3. म0उ0नि0 सुधा दीक्षित , थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ
4. म0उ0नि0 निशा सिंह, थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ
5. उ0नि0 रतन शाह, थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ
6. हे0का0 अनुराग यादव , थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ
7. का0 रवि सिंह, थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ
8. का0 दीपक उपाध्याय, थाना हजरतंगज कमिश्नरेट लखनऊ
9. का0 संजय यादव, थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 2053
दिनांक-11.11.2026

जोन-पूर्वी / थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा जानलेवा हमले के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त की निशानदेंही पर घटना में प्रयुक्त अवैध देशी पिस्टल, एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक 01.11.2026 को वादी आयाज इमाम खान उर्फ अरबाज पुत्र वाहिद इमाम खान उर्फ गुड्डू निवासी ग्राम सोनवरसा, थाना जीबी नगर तरवारा, जनपद सीवान, बिहार द्वारा थाना गुडम्बा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 31.10.2026 की रात्रि करीब 23:44 बजे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पास सोनू फास्ट फूड पर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी गयी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 419/2026 धारा 109(1) बीएनएस थाना गुडम्बा, लखनऊ पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर धारा 191(2)/191(3)/190 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी तथा दिनांक 03.11.2026 को अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल यादव पुत्र उमाशंकर प्रसाद नि0 जितवारपुर थाना मुफस्सिल, जनपद समस्तीपुर, बिहार हालपता सुदर्शन अपार्टमेंट सेकेण्ड़ फ्लोर, किरन इंक्लेव थाना गुडम्बा, लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

विवेचना के दौरान नामजद वांछित अभियुक्तगण की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तथा अन्य माध्यमों से जानकारी की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 11.11.2026 को उ0नि0 श्री अतीश कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से प्राप्त लोकेशन के आधार पर जनपद अमेठी के गौरीगंज क्षेत्र में दबिश दी गयी। गौरीगंज तहसील के पास अनिल शुक्ला के मकान में मौजूद अभियुक्तगण 1. अभिषेक ठाकुर उर्फ अभिषेक सिंह एवं 2. राशिद जमाल को समय करीब 04:25 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में अभियुक्त अभिषेक ठाकुर उर्फ अभिषेक सिंह की निशानदेही पर दिनांक 11.11.2026 को ग्राम पंचायतपुरवा के पीछे जंगल के किनारे स्थित एक खण्डहरनुमा मकान से घटना में प्रयुक्त अवैध देशी पिस्टल मय एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा बरामद किया गया। बरामद असलहे का वैध लाइसेंस अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। तथा शेष अभियुक्तगण की तलाश जारी है।

02- गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. **अभिषेक ठाकुर उर्फ अभिषेक सिंह** पुत्र ध्रुव प्रताप सिंह, निवासी मध्वापुर, थाना हरैया, जनपद बस्ती, उम्र करीब 27 वर्ष, हाल पता किरन इंक्लेव, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
2. **राशिद जमाल** पुत्र रागिब अहसन जमाल, निवासी वार्ड नं0 13, केशरौड़ा, थाना हसनपुर, जनपद समस्तीपुर, बिहार, उम्र करीब 22 वर्ष, हाल पता एन0वी0 विला हॉस्टल, भिटमऊ, थाना गुडम्बा, लखनऊ।

03-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 419/2026 धारा 109(1)/191(2)/191(3)/190 बीएनएस एवं बढ़ोत्तरी धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना गुडम्बा, लखनऊ।

04-आपराधिक इतिहास अभियुक्त अभिषेक ठाकुर उर्फ अभिषेक सिंह

1. मु0अ0सं0 81/24 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना हरैया जिला बस्ती
2. मु0अ0सं0 339/24 धारा 279/304ए भादवि0 थाना चिनहट लखनऊ
3. मु0अ0सं0 400/25 धारा 115(2)/351(3)/352 BNS थाना गुडम्बा लखनऊ
4. मु0अ0सं0 158/26 धारा 115(2)/351(3)/352 BNS थाना गुडम्बा लखनऊ
5. मु0अ0सं0 197/2026 धारा 191(2)115(2)/324(4)/352/351(3) BNS थाना गुडम्बा लखनऊ
6. मु0अ0सं0 237/26 धारा 115(2)/117(2)/351(3)/352 BNS थाना गुडम्बा लखनऊ

अभियुक्तगण के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

05-बरामदगी –

- एक अदद अवैध देशी पिस्टल।
- एक अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर।
- एक अदद खाली खोखा कारतूस।

06-गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अंजनी कुमार मिश्र, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री स्वतन्त्र कुमार यादव, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री संदीप सिंह गौर, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
4. उ0नि0 श्री अतीश कुमार सिंह, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
5. का0 विकल्प, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
6. का0 कृष्णा चौधरी, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
7. का0 रवि राणा, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
8. का0 विवेक कुमार सिंह, थाना गुडम्बा, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2054
दिनांक-11.11..2026

जोन-पूर्वी/थाना-गोमतीनगर विस्तार

- **थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण –

वादिनी मुकदमा के द्वारा पुलिस को तहरीरी सूचना- विपक्षी समर्थ जैन द्वारा वादिनी को शादी का झाँसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना व जान से मारने की धमकी देने सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया गया।

उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 200/2026 धारा 69/123/351(3) बीएनएस बनाम समर्थ जैन के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण की विवेचनात्मक कार्यवाही, मोबाइल नंबर की लोकेशन व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर उच्चाधिकारीगण से अनुमति प्राप्त कर विवेचक मय हमराह के थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद पहुंचकर नियमानुसार थाना साहिबाबाद पुलिस टीम को साथ लेकर अभियुक्त के निवास स्थल 04, साकेतधाम, प्लॉट नं0 120, सेक्टर 05, थाना साहिबाबाद, जनपद गाजियाबाद पर दबिश देकर आज दिनांक 11.11.2026 को समय करीब 06.55 बजे अभियुक्त समर्थ जैन पुत्र तेजिंदर जैन को हिरासत में लिया गया।

बाद विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त समर्थ जैन उपरोक्त को थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ दाखिल कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02-अनावरित अभियोग -

01-मु.अ.सं. 200/2026 धारा 69/123/351(3) बीएनएस थाना गोमतीनगर विस्तार, जनपद लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-समर्थ जैन पुत्र तेजिंदर जैन निवासी ए-04, साकेतधाम, प्लॉट नं0 120, सेक्टर 05, थाना साहिबाबाद, जनपद गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री मिथलेश सिंह थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ(विवेचक)
2. उ0नि0 श्री आयुष यादव थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
3. हे0का0रामू यादव थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
4. कां0 रवीन्द्र कुमार थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 2051

दिनांक-11.11.2026

जोन-उत्तरी/थाना- बी0के0टी0

- **थाना बीकेटी पुलिस टीम द्वारा युवक की हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.11.2026 को वादिनी बुधाना पत्नी स्व0 सन्तराम, निवासी ग्राम फतेहपुर खमरई (संसारपुर), थाना बीकेटी, लखनऊ द्वारा थाना बीकेटी पर लिखित तहरीर दी गई कि विपक्षी मोनू पुत्र रामसनेही गौतम ने उनके पुत्र हरिश्चन्द्र उम्र करीब 35 वर्ष की हत्या कर शव को गांव के बाहर इंटीग्रल स्कूल के पास डामर रोड पर नहर के किनारे डाल दिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बीकेटी पर मु0अ0सं0 **447/2026 धारा 103(1) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना बीकेटी पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमे गठित कर लगातार तलाश एवं संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 11.11.2026 को थाना बीकेटी पुलिस टीम क्षेत्र में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संसारपुर पडरी तिराहे के पास सड़क से अभियुक्त **मोनू** को समय करीब 05:00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त को उसके कानूनी अधिकारों एवं गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

02-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

1- मु0अ0सं0 447/2026 धारा 103(1) बीएनएस थाना बीकेटी लखनऊ

03-पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त मोनू गौतम द्वारा बताया गया कि वह मृतक के साथ शराब पी रहा था। शराब समाप्त होने के बाद पैसों को लेकर हुई छीना-झपटी एवं मारपीट के दौरान मृतक को चोटें आईं, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मोनु उर्फ मोनू पुत्र रामसनेही उर्फ सनेही निवासी ग्राम फतेहपुर खमराई (संसारपुर) थाना बी0के0टी0 जिला लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष (व्यवसाय-मजदूरी)

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.निरीक्षक श्री रामस्वरूप चौहान थाना बीकेटी जनपद लखनऊ।
2.उ0नि0 श्री राकेश कुमार यादव, थाना बीकेटी, जनपद लखनऊ
3.उ0नि0 श्री अभिमन्यू शाह थाना बीकेटी जनपद लखनऊ।
4.उ0नि0 श्री शुभम सिंह थाना बीकेटी जनपद लखनऊ।
5.का0 अंशु कुमार थाना बीकेटी जनपद लखनऊ।
6.का0 अमब्रीश सिंह थाना बीकेटी, जनपद लखनऊ।